[2018] 5 एस.सी.आर. 637

चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट

बनाम

चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट , औद्योगिक कर्मचारी कैंटीन, वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य।

(2010 की सिविल अपील संख्या 1381)

27 अप्रैल, 2018

[आर. के. के. अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, जे.जे.]

सेवा कानून – नियमित कर्मचारियों के साथ समानता का दावा – जब उचित हो – अपीलकर्ता द्वारा कार्यरत श्रमिकों/ कर्मचारियों को कैंटीन की सुविधा प्रदान की गयी – प्रतिवादी नंबर 1– कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारियों के संघ ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की, जिसमें अपीलकर्ता को कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारियों को अपीलकर्ता–पोर्ट ट्रस्ट में काम करने वाले नियमित कर्मचारियों के रूप में मानने और तदनुसार उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान सभी परिचारक और मौद्रिक लाभों का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई। एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार की गई याचिका – डिवीजन बेंच द्वारा बरकरार आदेश – अपील पर: इंडियन पेट्रोकेमिकल्स के मामले में समान तथ्यों के दृष्टिगत, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में मुख्य नियोक्ता के खिलाफ परमादेश की रिट जारी की थी, डिवीजन बेंच ने प्रतिवादी–एसोसिएशन के सदस्यों को राहत देने में उक्त निर्णय पर सही भरोसा किया – रिकॉर्ड पर मौजूद अविवादित तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर डिवीजन बेंच द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई गलती नहीं है– भारत का संविधान – अनुच्छेद 226।

अपील को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा: 1.1 डिवीजन बेंच ने भारतीय पेट्रोकेमिकल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सही भरोसा किया और उपरोक्त मामले के तथ्यों की तुलना मामले के साथ की और प्रतिवादी (एसोसिएशन) के सदस्यों को राहत देने के लिए दोनों में काफी समानताएं पाईं। डिवीजन बेंच ने इस मामले के 20 कारकों पर ध्यान दिया, जो इंडियन पेट्रोकेमिकल्स के मामले के तथ्यों के समान पाए गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नियोक्ता के लाभ के लिए संचालित कैंटीन में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों के संबंध में मुख्य नियोक्ता के खिलाफ परमादेश की रिट जारी की थी। [पैरा 13, 14] [641–ए–सी]

1.2 डिवीजन बेंच द्वारा दर्ज किए गए उक्त निष्कर्षों में कोई दोष नहीं पाया गया है क्योंकि ये निष्कर्ष मामले के रिकॉर्ड पर निर्विवाद तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर दर्ज किए गए थे। इसके अलावा, इन निष्कर्षों को भारतीय पेट्रोकेमिकल्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित तथ्यों और कानून को ध्यान में रखते हुए दर्ज किया गया था।[पैरा 15] [644–सी]

1.3 इंडियन पेट्रोकेमिकल्स के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका और रिट याचिका से उत्पन्न अपील पर निर्णय लेते समय नीचे दिए गए दो न्यायालयों (रिट कोर्ट और डिवीजन बेंच) का दृष्टिकोण और तर्क न्यायसंगत, उचित और कानूनी है। दूसरे शब्दों में, यदि निर्विवाद तथ्यों पर, सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन पेट्रोकेमिकल्स के मामले में कैंटीन श्रमिकों को लाभ प्रदान किया है, तो कोई कारण नहीं है कि इस मामले में उत्पन्न होने वाले निर्विवाद तथ्यों के उसी सेट पर , न्यायालय को इस मामले में कर्मचारियों / श्रमिकों को लाभ नहीं देना चाहिए। यह तब और अधिक है जब

भारतीय पेट्रोकेमिकल के मामले में इस मामले से कोई अलग तथ्य नहीं बताए गए हैं। [पैरा 17, 18] [644–ई–जी]

इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एन. बनाम श्रमिक सेना और अन्य। (1999) 6 एससीसी 439: [1999] 1 सपल एससीआर 47 – पर भरोसा किया गया।

केस लॉ रेफरेंस [1999] 1 सपल एससीआर 47 एससीआर 47 पैरा 13 पर भरोसा किया गया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2010 की सिविल अपील संख्या 1381

2006 की रिट अपील संख्या 66 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 21.02.2006 के निर्णय और आदेश से।

केशव ठाकुर, राजेश सिंह चौहान, अनिल कौशिक, अभिषेक मिश्रा, राजिंदर सिंह, शिव प्रकाश पांडे, बी. विनोद कन्ना, ए. श्रीराम, एम. योगेश कन्ना, जयंत मुथ राज, पी. वी. दिनेश, एडवोकेट चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट बनाम चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट औद्योगिक कर्मचारी कैंटीन श्रमिक कल्याण एसोसिएशन।

न्यायालय का निर्णय अभय मनोहर सप्रे, जे. द्वारा दिया गया ।

1. यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 2006 की रिट अपील संख्या 66 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध की जाती है, जिसके तहत उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था और 2001 की रिट याचिका संख्या 6872 जिसे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर किया गया में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 24.08.2005 के निर्णय और आदेश की पुष्टि की थी।

2. अपील में शामिल प्रश्न की सराहना करने के लिए नीचे कुछ प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

3. अपीलकर्ता चेन्नई में "चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट" है। यह पिछले कई दशकों से अस्तित्व में है और बंदरगाह पर अपनी बहुआयामी गतिविधियों को चलाने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक और तकनीकी सेट अप है।

4. पोर्ट ट्रस्ट द्वारा बड़ी संख्या में श्रमिकों /कर्मचारियों को नियोजित किया जाता है जो पोर्ट ट्रस्ट की गतिविधियों को चलाने और बनाए रखने के लिए शिफ्टो में चौबीसों घंटे काम करते हैं। इन पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारियों/कर्मचारियों को कैंटीन की सुविधा प्रदान की जाती है। "चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट औद्योगिक कर्मचारी सहकारी कैंटीन लिमिटेड" नामक एक सहकारी समिति कैंटीन चलाती है। यह 1964 से चला रही है। इस कैंटीन को चलाने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लगाया गया है। कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारियों ने "चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज कैंटीन वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन" (संक्षेप में "एसोसिएशन") का एक संघ बनाया है।

5. एसोसिएशन–प्रतिवादी संख्या 1 ने यहां मद्रास उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता (चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट) के खिलाफ 2001 की डब्ल्यू.पी.संख्या 6872 के रूप में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें उनके सदस्यों (कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारियों) के मुद्दे को उठाया गया और अपीलकर्ता – चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट (रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 3) के खिलाफ परमादेश की मांग की गई, जिसमें अपीलकर्ता को कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारियों को चेन्नई के नियमित कर्मचारी के रूप में मानने और तदनुसार उन्हें चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के नियमित कर्मचारियों के बराबर सभी परिचारक और मौद्रिक लाभ देने का निर्देश दिया गया।

6. रिट याचिकाकर्ता (संबंधित कर्मचारी) के अनुसार, वे दशकों से कैंटीन में काम कर रहे हैं और नियमित रूप से पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। एसोसिएशन के अनुसार, एसोसिएशन के सदस्य – कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारी उसी लाभ और भत्तों का दावा करने के हकदार हैं जो चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के नियमित स्थायी कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं। एसोसिएशन ने अन्य सरकारी संगठनों के इसी तरह के उदाहरणों को भी इंगित किया जिसमें इस प्रकृति के लाभ संगठनों में काम करने वाले कर्मचारियों को एसोसिएशन के सदस्यों की तरह दिए गए थे।

7. चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट ने मुख्य रूप से दो मुद्दों पर रिट याचिका का विरोध किया। पहला, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट का अपने कर्मचारियों पर किसी भी नियंत्रण सहित कैंटीन की किसी भी गतिविधि पर कोई नियंत्रण नहीं है और दूसरा, यह प्रश्न कि कैंटीन के कर्मचारियों को चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारियों के रूप में माना जाना चाहिए या नहीं, तथ्य का प्रश्न है और इसलिए, यह रिट याचिका इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए प्रभावी उपाय नहीं है। चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के अनुसार,ऐसे मुद्दों को निर्णय के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष उठाया जाना चाहिए।

8. रिट कोर्ट (एकल न्यायाधीश) ने एसोसिएशन (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार किया और तदनुसार अपीलकर्ता (चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट) के खिलाफ परमादेश जारी किया, जैसा कि रिट याचिकाकर्ता ने अपनी रिट याचिका में अनुरोध किया था। दूसरे शब्दों में , रिट कोर्ट ने रिट याचिकाकर्ता द्वारा अपनी रिट याचिका में दावा की गई राहतें प्रदान की।

9. अपीलकर्ता (चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट) ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय में डिवीजन बेंच के समक्ष इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। आक्षेपित निर्णय द्वारा, डिवीजन बेंच ने अपील को खारिज कर दिया और एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा, जिसने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील को उतपन्न किया है।

10. अपीलकर्ता के वकील श्री केशव ठाकुर और प्रतिवादियों के वकील श्री अनिल कौशिक, श्री बी विनोद कन्ना और श्री जयंत मुथ राज को सुना।

11. पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद, हमें अपील में कोई दम नहीं मिला।

12. हमारे विचार में, रिट कोर्ट (एकल न्यायाधीश) और खंडपीठ अपने तर्क और निष्कर्ष में सही थे।

13. खंडपीठ ने हमारी राय में, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम श्रमिक सेना और अन्य, (1999) 6 एससीसी 439 में इस न्यायालय के फैसले पर सही भरोसा किया और उपरोक्त मामले के तथ्यों की तुलना मामले के साथ की और प्रतिवादी (एसोसिएशन) के सदस्यों को राहत देने के लिए दोनों में काफी समानताएं पाई।

14. आक्षेपित निर्णय के पैरा 14 और 15 में डिवीजन बेंच ने इस मामले के 20 कारकों पर ध्यान दिया, जो इंडियन पेट्रोकेमिकल्स मामले (सुप्रा) में शामिल तथ्यों के समान पाए गए थे, जिसमें इस न्यायालय ने नियोक्ता के लाभ के लिए संचालित कैंटीन में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों के संबंध में मुख्य नियोक्ता के खिलाफ परमादेश की रिट जारी की थी। आक्षेपित निर्णय के पैरा 14 और 15 को पुन: प्रस्तुत करना उचित है, जो निम्नानुसार है:

"14. विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष भी, पोर्ट ट्रस्ट ने अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में तथ्यात्मक मुद्दों पर निर्णय लेने पर आपत्ति जताई क्योंकि उपयुक्त मंच केवल श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण है। एकल न्यायाधीश ने कहा कि हलफनामे में कही गई बातों को जवाबी हलफनामे में विशेष

रूप से अस्वीकार नहीं किया गया है, सिवाय यह बताने के कि पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधन का कैंटीन के कामकाज पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए, एक सामान्य इनकार के अलावा, विभिन्न दावों को विशेष रूप से इनकार नहीं किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने तब विभिन्न तथ्यों और परिस्थितियों को निर्धारित किया जो कैंटीन पर पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किए गए प्रशासनिक नियंत्रण को दर्शाते हैं, और वे इस प्रकार हैं:

(i) इस तथ्य से इनकार नहीं किया जाता है कि प्रतिष्ठान को पूरे 24 घंटों के दौरान खुला रखा जाता है जिसमें कर्मचारी कई शिफ्टों में काम करते हैं। इस प्रकार, श्रमिकों को कारखाने के अंदर अपना भोजन करने की आवश्यकता की पुष्टि की जाती है और कैंटीन मुख्य रूप से केवल श्रमिकों के लिए है।

(ii) इस तथ्य से इनकार नहीं किया जाता है कि कैंटीन चलाने के लिए सोसायटी द्वारा बनाए गए नियम अध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन होंगे। इससे साबित करता है कि कैंटीन के प्रशासन का अंतिम नियंत्रण पोर्ट ट्रस्ट के पास है।

(iii) केवल पोर्ट ट्रस्ट से संबंधित कर्मचारी ही सोसायटी के सदस्य बनने के पात्र हैं, अन्य नहीं।

(iv) केवल पोर्ट ट्रस्ट का नामांकित व्यक्ति ही सहकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है।

(v) पोर्ट ट्रस्ट प्रशासन को कैंटीन के खातों का ऑडिट करने का अधिकार है।

(vi) पोर्ट ट्रस्ट द्वारा बिजली और पानी की आपूर्ति निःशुल्क की जाती है। परिसर को सोसायटी द्वारा किराया मुक्त भी रखा गया है।

(vii) उपनियम 15 के अनुसार, चौथी प्रतिवादी सोसाइटी, अध्यक्ष के साथ–साथ चार अन्य ठेकेदारों को रजिस्ट्रार द्वारा केवल चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के परामर्श से नामित किया जाएगा।

(viii) पोर्ट ट्रस्ट कैंटीन द्वारा नियोजित कर्मचारियों की लागत प्रदान करता है, भवन का रखरखाव करता है, ईंधन लागत की 100% प्रतिपूत करता है और कैंटीन कर्मचारियों को सभी लाभ प्रदान करता है।

(ix) खाद्य सामग्री की कीमतें बहुत सस्ती हैं और भोजन को मार्शलिंग यार्ड, ओएनजीसी पाइपलाइन, ऑयल डॉक, डीजल लोको और ऐसे अन्य स्थानों पर श्रमिकों तक पहुंचाया जाता है जहां कैंटीन स्थापित नहीं की जा सकती है और विशेष रूप से केवल श्रमिकों के लिए बनाई गई है।

(x) पोर्ट ट्रस्ट के कार्यकारी अभियंता (मैकेनिकल) को कैंटीन के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है और पूरे कैंटीन मामलों को पोर्ट ट्रस्ट के मुख्य यांत्रिक अभियंता द्वारा संभाला और नियंत्रित किया जाता है।

(xi) वित्तीय मामलों को पोर्ट ट्रस्ट के वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

(xii) चौथे उत्तरदाता का अध्यक्ष कैंटीन से संबंधित सभी नीतिगत मामलों को नियंत्रित करता है।

(xiii) यह सामान्य जानकारी का विषय है कि जहां तक चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट का संबंध है, यह ऐसी जगह पर स्थित है जहां निकटतम रेस्तरां या कैंटीन पोर्ट ट्रस्ट के प्रवेश द्वार से कम से कम दो से तीन किलोमीटर की दूरी पर होगा। इसलिए, कैंटीन न केवल कर्मचारियों के लिए, बल्कि विभिन्न स्तरों पर पूरे कर्मचारियों और पोर्ट ट्रस्ट के साथ आधिकारिक और वाणिज्यिक व्यवहार करने वाले आगंतुकों के लिए भी आवश्यक है। पोर्ट ट्रस्ट अपने आप में एक छोर से दूसरे छोर तक एक बहुत बड़ा और फैला हुआ क्षेत्र है। इसलिए, कैंटीन पोर्ट ट्रस्ट के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसके बाद एकल न्यायाधीश ने पाया कि रिट याचिकाकर्ता के उपरोक्त सकारात्मक दावों में से कोई भी प्रतिवादियों द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाता है। यह केवल इसलिए है क्योंकि तथ्यों पर कोई विवाद नहीं था कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले का

फैसला करने के लिए आगे बढ़े, हालांकि श्रमिकों ने ट्रिब्यूनल से संपर्क किए बिना सीधे रिट याचिका दायर की थी।

15. यदि हम भारतीय पेट्रोकेमिकल के मामले को देखें, तो तथ्यात्मक मुद्दों की समानता काफी चौंकाने वाली है। उस मामले में – (ए) कैंटीन अपीलकर्ता के कारखाने के समय से ही वहां मौजूद है। (ख) कर्मचारी लंबे समय से कार्यरत हैं और ठेकेदारों के बदलने के बावजूद श्रमिकों को कैंटीन में नियोजित किया जाना जारी है। (ग) अपीलकर्ता द्वारा परिसर, फर्नीचर, फिक्स्चर, ईंधन, बिजली, बर्तन आदि प्रदान किए गए हैं। (घ) कैंटीन श्रमिकों के वेतन की प्रतिपूत अपीलकर्ता द्वारा की जानी होती है। (ङ) कैंटीन पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण अपीलकर्ता द्वारा अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से किया जाता है, जैसा कि अपीलकर्ता और ठेकेदार के बीच संविदा के विभिन्न खंडों से देखा जा सकता है। (च) ठेकेदार कुछ और नहीं बल्कि अपीलकर्ता का एक एजेंट या प्रबंधक है, जो पूरी तरह से अपीलकर्ता की देखरेख, नियंत्रण और निर्देशों के तहत काम करता है। (छ) श्रमिकों को प्रतिष्ठान में निरंतर रोजगार का संरक्षण प्राप्त है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय इस राय पर पहुंचा कि काम करने वाले प्रबंधन के कर्मचारी थे और तर्क की उसी तरह, विद्वान एकल न्यायाधीश भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कैंटीन के काम करने वाले पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारी थे।हमें इस तर्क में कोई त्रुटि नहीं दिखती।"

15. हमें डिवीजन बेंच द्वारा दिये गये उपरोक्त निष्कर्षों में कोई गलती नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे विचार में, ये निष्कर्ष मामले के रिकॉर्ड पर निर्विवाद तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर दर्ज किए गए थे। इसके अलावा, इस न्यायालय द्वारा इन निष्कर्षों को भारतीय पेट्रोकेमिकल्स (सुप्रा) के निर्धारित तथ्यों और कानून को ध्यान में रखते हुए दिया गया था।

16. इंडियन पेट्रोकेमिकल्स (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय का अवलोकन मात्र से यह पता चलता है कि उस मामले में भी कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारियों के कहने पर कुछ इसी तरह का प्रश्न उठा था, जो इस अपील का विषय है। इस न्यायालय (तीन न्यायाधीशों की पीठ) ने प्रश्न की विस्तृत जांच की और प्रश्न से संबंधित प्रासंगिक निर्विवाद तथ्यों पर ध्यान दिया, और संबंधित कर्मचारियों को राहत दी।

17. हमारी सुविचारित राय में, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका और रिट याचिका से उत्पन्न अपील पर निर्णय लेते समय नीचे दिए गए दो न्यायालयों (रिट कोर्ट और डिवीजन बेंच) का दृष्टिकोण और तर्क न्यायसंगत, उचित और कानूनी है।

18. दूसरे शब्दों में, यदि निर्विवाद तथ्यों पर, इस न्यायालय ने इंडियन पेट्रोकेमिकल्स (सुप्रा) के मामले में कैंटीन श्रमिकों को लाभ प्रदान किया है, तो कोई कारण नहीं है कि इस मामले में उत्पन्न होने वाले निर्विवाद तथ्यों के उसी सेट पर, न्यायालय इस मामले में कर्मचारियों / श्रमिकों को लाभ प्रदान न करे। यह तब और अधिक है जब इस मामले में भारतीय पेट्रोकेमिकल्स के मामले (सुप्रा) में कोई अलग–अलग तथ्य नहीं बताया गया है।

19. इसलिए, हम नीचली दोनो अदालतो द्वारा लिए गए दृष्टिकोण, तर्क और निष्कर्ष से सहमत हैं।

20. हालांकि, हम अपीलकर्ता (चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट) के विद्वान वकील की दलील से प्रभावित नहीं हैं, जब उन्होंने तर्क दिया कि रिट कोर्ट को रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था और इसके बजाय प्रतिवादी (रिट याचिकाकर्ता–एसोसिएशन) को रिट याचिका में उनके द्वारा उठाए गए विवाद के निर्णय के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण / श्रम न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए थी।

21. सबसे पहले, रिट कोर्ट ने रिट याचिका पर विचार किया और गुण–दोष के आधार पर राहत दी, यह आपत्ति अब महत्वहीन हो चुकी है; दूसरा, अपीलीय न्यायालय ने भी मामले के गुण–दोष पर गौर किया है और रिट कोर्ट के आदेश की गुण–दोष के आधार पर पुष्टि की है, इसलिए इस तरह की दलील पर विचार करने में बहुत देर हो चुकी है, जो प्रकृति में तकनीकी है; और तीसरा, दोनों न्यायालयों द्वारा गुण–दोष के आधार पर निष्कर्षों को अविवादित तथ्यों/दस्तावेजों के आधार पर दिया गया है, जिनमें तथ्यों पर किसी परिक्षण की आवश्यकता नहीं है।

22. इन कारणों से, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील की दलील में कोई दम नहीं है।

23. यद्यपि अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कुछ और मुद्दों पर बहस की, लेकिन उन्होंने हमें प्रभावित नहीं किया कि नीचे की दो न्यायालयों के निष्कर्षों को उलटा जा सके और किसी भी मामले में, नीचे की दो न्यायालयों द्वारा दिये गए निष्कर्षों के प्रकाश में, जो भारतीय पेट्रोकेमिकल्स (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर आधारित हैं। हमें उनकी दलीलों पर विचार करने की जरूरत नहीं है।

24. उपरोक्त चर्चा को ध्यानमें रखते हुये, हमें अपील में कोई दम नहीं मिलता है, जो विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

अपील खारिज की जाती है।

दिव्या पांडे

vetted by Vidisha Bhushan